

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)(ब.घों.)डीएलबी/24/351

दिनांक: 26/12/2024
5/2/2025

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) संपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद मकराना की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार में है:-

क्र. सं.	जिला	नगर परिषद का नाम	नगर परिषद में शामिल ग्राम पंचायत./ राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01	डीडवाना-कुचामन	मकराना	ग्राम पंचायत जूसरी की सीमा क्षेत्र से मकराना का ग्रामीण क्षेत्र (राजस्व ग्राम मकराना का ग्रामीण क्षेत्र जो वर्तमान में ग्राम पंचायत जूसरी में सम्मिलित है); ग्राम पंचायत गुणावती (राजस्व ग्राम गुणावती का ग्रामीण क्षेत्र जो ग्राम पंचायत गुढा में सम्मिलित क्षेत्र) ग्राम पंचायत दिरढाणी (ग्राम पंचायत गुढा का क्षेत्र) (जनसंख्या-26,096)

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
(कुमर पाल गौतम)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव